न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 16/23 दायरा दिनांक 01.08.2023

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

सुन्दई पत्नि धुन्धी उम्र 66 वर्ष जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बांरा राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 12.10.2023

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 491 कुल रकबा 71.02 बीघा ग्राम कलोनी पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहावाद में से रकबा 5.00 बीघा प्रार्थिया के नाम आवंटन कमेटी मुकाम मुण्डियर द्वारा विधिवत आवंटन की जाकर आवंटन शर्तों की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी तदुपरांत खातेदारी दर्ज की गई है, जो बटा नंबर 491/12 की 5.00 बीघा भूमि प्रार्थिया के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। आवंटन दिनांक 24.05.2006 का अमल गैरखातेदारी नामान्तरण नंबर 722 ग्राम कलोनी दिनांक 20.06.2006 में करते समय प्रार्थिया का नाम सुन्दई के स्थान पर सुन्दर गलत दर्ज कर दिया और खातेदारी नामान्तरण नंबर 856 दिनांक 04.06.2010 में पत्नि शब्द अस्पष्ट अंकन कर दिया तथा खातेदारी नामान्तरण का अमल जमाबंदी में करते समय सुन्दर/धुन्धी दर्ज कर दिया, जबकि खातेदार सुन्दई, धुन्धी का पुत्र न होकर पत्नि है। इस प्रकार खाते में गलत इन्द्राज होने से प्रार्थिया को भारी असुविधा हो रही है। उक्त इन्द्राज की दुरूस्ती हेतु दिनांक 11.07.2023 को अप्रार्थी को आवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी तलब की गई तथा प्रार्थिया को श्रीमान न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश लाने को कहा गया। अतः प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 491/12 रकबा 5.00 बीघा ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद खाते में बर्तमान गलत इन्द्राज सुन्दर पुत्र धुन्धी के स्थान पर सुन्दई पत्नि धुन्धी दर्ज किये जाने हेतु आदेश पारित फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश किया गया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2063–66 में आराजी खसरा संख्या 491 कुल रकबा 71.02 ग्राम कलोनी में से 5.00 बीघा भूमि दिनांक 18.05.06 को आवंटन होना ... के बाद बटा नंबर 491/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। आवंटन का अमल गैरखातेदारी में करते समय प्रार्थिया का नाम सुन्दई के स्थान पर सुन्दर सहवन से दर्ज हुआ है और खातेदारी में पत्नि शब्द अस्पष्ट अंकन होने से वक्त अमल जमाबंदी सुन्दर/धुन्धी दर्ज कर दिया, जिसे बाद में सुन्दर पुत्र धुन्धी दर्ज कर दिया गया है, जबकि आवंटन आदेश अनुसार खातेदार सुन्दई, धुन्धी की पत्नि है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा संख्या 491 रकबा 71.02 बीघा में से 5.00 बीघा भूमि दिनांक 18.05.06 को आवंटन होने का, जिस पर नामान्तरण नंबर 722 से गैरखातेदारी तथा नामान्रण नंबर 856 से खातेदारी दिये जाने का कथन किया है, इसके अलावा प्रार्थी का कथन रहा है कि सुन्दर पत्नि धुन्धी के स्थान पर रिकार्ड में सुन्दर पुत्र धुन्धी गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सुन्दई पत्नि धुन्धी दर्ज है, जिसे गैरखातेदारी नामान्तरण नंबर 722 में सुन्दर पत्नि धुन्धी और खातेदारी पश्चात सुन्दर/धुन्धी तथा बाद में सुन्दर पुत्र धुन्धी दर्ज कर दिया है, जो गलत है। वर्तमान इन्द्राज को अप्रार्थी तहसीलदार शाहावाद द्वारा भी सहवन से गलत दर्ज होना स्वीकार करते हुये सुन्दर पुत्र धुन्धी के स्थान पर सुन्दई पत्नि धुन्धी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली में संलग्न रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा संख्या 491/12 रकबा 5.00 बीघा खाते में दर्ज प्रार्थी का नाम सुन्दर पुत्र धुन्धी के स्थान पर सुन्दई पत्नि धुन्धी दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Pooja

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:17 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner